



कार्यालयीय ज्ञाप

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10-6-2022 विषय क्रं.-04 में प्रस्तुत छात्रावास सुरक्षा निधि शुल्क वापसी संबंधी प्रस्ताव पर समिति द्वारा निर्णय निम्नानुसार लिया गया है :-

विचारोपरान्त विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा यह निर्णय किया गया कि छात्रावास सुरक्षा निधि एवं मेस सुरक्षा निधि वापसी के लिये छात्रावास छोड़ने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किये गये आवेदनों को मान्य करते हुए शुल्क वापसी की कार्यवाही की जाय। साथ ही जिन आवेदकों से छात्रावास छोड़ने के एक वर्ष के भीतर आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं। उन विद्यार्थियों की सुरक्षा निधि को "विद्यार्थी सहायक कोष" में दान दिया गया मान लिया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि इससे संबंधित राजपत्र में प्रकाशित प्रावधानों को अधिसूचना के रूप में जारी किया जाय। साथ ही अधिसूचना की प्रति छात्रावास उपलब्ध कराने संबंधी आवेदकों के आवेदन प्रारूप में सम्मिलित किया जाय।

यह और भी निर्णय लिया गया कि इस अधिसूचना के अधिक प्रचार-प्रसार हेतु प्रत्येक छात्रावास के सूचना फलक पर तथा विभिन्न शैक्षणिक विभागों के सूचना फलक पर चस्पा किया जाय, ताकि छात्र/छात्राओं को इस नियम की जानकारी प्राप्त हो सके।

कृपया उपरोक्त निर्णय सर्व-संबंधितों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एतद द्वारा जारी किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपि :-

- 1- कुलपति/कुलसचिव जी के सचिव/निज सहायक को मान0कुलपति/कुलपति जी के सूचनार्थ।
- 2- अधिष्ठाता, समस्त अध्ययनशाला, गु0घा0वि0वि0बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- विभागाध्यक्ष, समस्त शिक्षण विभाग, गु0घा0वि0वि0बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग, गु0घा0वि0वि0बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- वित्ताधिकारी, गु0घा0वि0वि0बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- परीक्षा नियंत्रक एवं उकुस-परीक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7- मुख्य छात्रावास अधीक्षक, गु0घा0वि0वि0बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8- कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (अका0)